न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 28/2018

पालाराम पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी सिद्धुवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ। ——रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राज.भू–रा.अधि. 1956
विरूद्ध आदेश अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ दिनांक 16.02.2018 एवं तहसीलदार सरूतगढ दिनांक 28.10.2015

उपस्थितिः–

श्री शिशपाल शर्मा, अभिभाषक अपीलार्थी।
श्री श्याम सुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 28/11/18

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार सूरतगढ ने अपने आदेश दिनांक 28.10.2015 से अपीलांट को चक 1 एस.पी.डी. के मु.नं. 64/324, 66/324 की 3.859है0 भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने, तावान कायम करने के आदेश दिये हैं। उक्त आदेश की अपीलांट ने अति.कलक्टर सूरतगढ के समक्ष प्रथम अपील पेश की। अति.कलक्टर सूरतगढ ने अपने आदेश दिनांक 16.02.2018 से अपील अपीलांट खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की।

उभयपक्ष की बहस सुनी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलांट का पुराना कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं अपीलांट का पेशा काश्तकारी है एवं वह नियमन करवाने की पात्रता रखता है। ऐसी स्थिति में अधी. न्यायालय ने अपीलांट

को अतिक्रमी मानते हुए जो आदेश दिया है वह उचित नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज है। तहसीलदार ने अतिक्रमी मानते हुए जो आदेश दिया वह उचित होने से उसकी अपील भी अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ द्वारा खारिज की है वह उचित है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलांट का मुख्य तर्क यह है कि वह विवादित भूमि के आवंटन की पात्रता रखता है। आवंटन की पात्रता रखता है या नहीं इसका निर्णय इस अपील में नहीं किया जाना है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित भूमि रकबा राज है, जिसपर अपीलांट का साधिकार कब्जा काश्त नहीं है। अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न तो अधी. न्यायालय में पेश किया और न ही इस न्यायालय में पेश किया जिसके यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि विवादित भूमि पर अपीलांट का साधिकार कब्जा काश्त हो। वस्तुतः यह भूमि गै0मुमकिन एस्केप दर्ज है जिसके सम्बन्ध में अपीलांट को किसी प्रकार के अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो सकते हैं। स्पष्ट रूप से अपीलांट ने राजकीय भूमि पर बिना किसी अधिकार के गैर कानूनी ढंग से अतिचार कर काश्त की है जिसके लिए वह कानून में विहित दण्ड का भागी है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा अतिक्रमी मानते हुए जो आदेश दिया है वह उचित है एवं उसकी अपील भी अतिरिक्त कलक्टर द्वारा खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28/11/18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/11/18

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर